बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या–5/आ0–4–1010/2016– 914 पटना, दिनांक– 31.10.16

श्री विजय कुमार वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, तेघड़ा प्रमंडल, बेगुसराय के विरूद्व संसुचित आरोपों यथा संवेदक को अनियमित रूप से लाभ पहुंचाने, तेघरा पार्ट 2 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने तथा मापी पुस्तिका में माप गलत अंकित करने आदि से संबंधित आरोपों की जांच करायी गयी। उक्त जांच प्रतिवेदन में श्री वर्मा कनीय अभियंता तेघड़ा के विरूद्व प्रथम द्रष्टया आरोप प्रमाणित पाये गये। उक्त के आलोक में समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि श्री विजय कुमार वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, तेघड़ा प्रमंडल, बेगुसराय के विरूद्व प्रपत्र 'क' में आरोप गठित करते हुए प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अमीरंजन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को जांच संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. आरोपित श्री वर्मा, आदेश प्राप्ति की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनो से अनाधिक समय के भीतर, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे तथा अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

4. जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 में विहित प्रावधानो के अनुसार जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

5. आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री विजय कुमार वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, तेघड़ा, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, बेगुसराय, जांच संचालन पदाधिकारी, श्री अमी रंजन, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

31.10.2016

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/आ0–4–1010/2016– 914 पटना, दिनांक– 31.10.16

प्रतिलिपि आरोप पत्र की प्रति के साथ जांच संचालन पदाधिकारी, श्री अमी रंजन, प्रक्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.2016

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/आ0–4–1010/2016– 914 पटना, दिनांक– 31.10.16

E-Mail

प्रतिलिपि प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा 1 एवं 2 तथा आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.2016

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

M order